हुक्म

09/09/2021 वकील प्रार्थीगण उपस्थित।

विप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से वकील श्री जुंजाराम पटेल व विप्रार्थीगण स्वंय उपस्थित होकर एक रसीद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया, कि प्रार्थीगण के द्वारा विप्रार्थीगण की भूमि खेत ख.नं. 688 व 1484/661 में से 1-04 बीघा भूमि की भुगतान राशि 1,94,400/- रुपये आपसी सहमति से नोकद प्राप्त किये गये, विप्रार्थीगण के वकील ने प्रार्थीगण के आवेदन पत्र को जरिये आपसी सहमति के स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने भी तहसीलदार पचपदरा [illegible] प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार [illegible] स्वीकार करने का आग्रह किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
[illegible] बालोतरा

जानाराम

Id. by me
[illegible]

Advocate for applicant

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:35:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर निर्णय अलग से लिखकर, जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:35:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 166/2021

प्रार्थीगण :–

1. दीपाराम पुत्र पोपाराम जाति मेगवाल आयु 67 वर्ष
2. नरेन्द्रकुमार पुत्र मिश्रीमल जाति मेगवाल आयु 55 वर्ष निवासी मेगवालो की बास बालोतरा हाल जागसा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. मानाराम पुत्र रणछोडाराम
2. धनाराम पुत्र राहिंगाराम
3. नैनु पत्नी रहिंगाराम जाति कलबी चौधरी निवासी जागसा तहसील पचपदरा
4. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।

प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 251ए आर.टी ए. (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

अधिवक्तागण :– 1 श्री अचलाराम चौधरी प्रार्थीगण वकील

2.श्री जुंजाराम कलबी विप्रार्थीगण वकील

आदेश दिनांक :– 09.09.2021

प्रार्थीगण यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थी के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है,प्रार्थीगण के खातेदारी सरहद मौजा जागसा पटवार क्षेत्र जागसा के खातेदारी खेत खसरा सं. 668 रकबा 18.02 बीघा में से परिशिष्ट 'अ' में वर्णित मार्क अ.ब. कटाण रास्ता सडक तक प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि भूमि खसरा सं. 1484/666 रकबा 02.00 बीघा व खसरा संख्या 1829/666 रकबा 20 बीघा के भूमि के उपयोग हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रर्थीगण संख्या 1 व 3 की तरफ से वकील उपस्थित। तहसीलदार पचपदरा से मौके की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गई तहसीलदार पचपदरा के पत्र संख्या राजस्व/2021/1435 दिनांक 13.08.2021 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा के द्वारा मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि मौजा जागसा में आवेदक के नाम खातेदारी भूमि में जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 1829/666 के नाम खातेदारी भूमि है

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:35:00 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

जिसमें आवागमन हेतु आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 668, 1484/666, 1485/666 खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड दर्ज है। में से रास्ते हेतु भूमि प्रस्तावित की है जो प्रतिबंधित श्रेणी की भुमि नहीं । प्रस्तावित भुमि की वर्तमान डी०एल०सी० दर 81000/ रूपयें प्रति बीघा है। रास्ते हेतु कुल रकबा क्रमशः 01-04, 0-01, 0-01 बीघा कुल रकबा 01-06 बीघा भूमि होती है, प्रार्थीगण के आवेदित आवागमन हेतु निकटतम रास्ता है। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की और वकील श्री जुंजाराम पटेल ने दिनांक 9.09.2021 को एक रसीद क्षतिपूर्ति राशि 1,94,400/– रूपये को आपसी सहमति से प्रार्थीगण से प्राप्त करने की पेश कर जाहिर किया कि हम विप्रार्थीगण को उक्त आराजी भूमि के खेत खसरा संख्या 668 रकबा 18.02 बीघा मे से 1.04 बीघा भूमि रास्ता हेतु उपयोग ली, जानी बतायी जिसकी दुगुनी राशि रूपये 1,94,400/–होती है जो हमने आज प्रार्थीगण से रोकड प्राप्त कर ली है, प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में वर्णित मार्क अ से ब रास्ता घोषित किया जाता है तो हम विप्रार्थीगण को कोई उजर ऐतराज नहीं। हमारी खातेदारी भूमि उक्त रास्ते हेतु उपयोग ली गयी भूमि के प्रतिफल/क्षतिपूर्ति की कोई राशि प्रार्थीगण में बकाया नहीं है। इसी अनुसार रास्ता रेकर्ड में पैमाईश कराते हुए अमल दरामद किया जावे तो हम सहमत है।

दोनो पक्षों वकील की बहस को सुना एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया व अध्ययन किया गया । न्यायालय में प्रस्तुत जमाबंदी मौजा जागसा के खेत खसरा न0 1829/666 खसरा संख्या 1484/666 एवम् खसरा संख्या 668 नजरी मानचित्र में बताए अनुसार कुल रकबा 01-06 बीघा भूमि होती है जो उपयुक्त एवं निकटतम रास्ता है।

विप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत इकबालीय जबाब व तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण मे पटवारी हल्का से मौका एवं रेकार्ड से जाचं की गई जिसके अनुसार मौजा जागसा के खसरा संख्या 668 रकबा 18.02 बीघा व खसरा संख्या 1485/666 रकबा 2 ... में से खसरा संख्या 1484/666, खसरा संख्या 1829/666 की भूमि तक आवागमन करने हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत से गया मार्ग नक्शा परिशिष्ट –'अ' में मार्क 'अ' से 'ब' दर्शाये माफिक जो प्रार्थीगण के निकटतम रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:35:00 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता विकल्प में उपलब्ध नहीं है, चुंकी प्रार्थीगण खातेदार टिनेन्ट है जिसको कृषि कार्य व आवागमन के उपयोग हेतु है। जिसका प्रावधान धारा 251 ए रा.क.अ में प्रावधित है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खेत खसरा मौजा प्रार्थी खसरा न0 1484/666, 1829/666 मौजा जागसा पटवार हल्का जागसा तहसील जिला बाडमेर में जाने हेतु खसरा नम्बर 668 रकबा 18.02 बीघा भूमि में से 1.04 बीघा भूमि रास्ता हेतु उपयोग मे ली, के प्रतिफल/ क्षतिपूर्ति की राशि रूपयें 1,94,400/— राशि प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण को आपसी सहमति से भुगतान कर रसीद प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश दिय जाते है कि प्रार्थीगण को उक्त रसीद के नियमानुसार रेकर्ड में ग्राम जागसा खेत खसरा संख्या 668 की भूमि की पैमाईश करवाकर सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थीगण से नियमानुसार वसूल किया जाकर अमल दरामद की कार्यवाही मौका फर्द संलग्न नक्शा अनुसार करें।

मौका रिपोर्ट दिनांक 28.07.2021 एवं प्रस्तावित नक्शा में चिन्हित किया गया प्रस्तावित रास्ता इस निर्णय भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 9.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:05:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner